जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस नोट

दिनांक 04.09.2025

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 18.12.2022 को अभियुक्त विंध्याचल पुत्र दलसिंगार निवासी उत्तर पट्टी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके उपरान्त थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी।

मु0अ0सं0 514/2022 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त उपरोक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 03 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 04.09.2025 को मा0 न्यायालय– सी0जे0(एस0डी0)/एफ0टीसी/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 03 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

विदित हो कि दिनांक 06.03.2004 को वादिनी श्रीमती कलावती देवी पत्नी मुन्नीलाल निवासी पक्का पोखरा सुअरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर सूचना दिया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण 01- हरिश्चन्द्र पुत्र सीताराम, 02- सीताराम पुत्र भदई, 03- विश्वनाथ पुत्र बिहारी निवासीगण पक्का पोखरा सुअरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री घनश्याम द्वारा सम्पादित की गयी थी।

मु0अ0सं0 29/2005 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 323 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 324 भादवि में 500 रु0 के अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 500 रु0 के अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 500 रु0 के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को 01-01 माह का सादा कारावास की सजा भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6883 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6883 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत देवकली चौराहा से कालर द्वारा बाइक से गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 महिला (1.आलिया पुत्री स्व अलाउद्दीन खान सा0 अज्ञात जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल महिला को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल महिला को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 आलोक कुमार, का0 आशीष शुक्ला, हो0चा0 सच्चिदानन्द मिश्रा।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 130 वाहनों से 1,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 04.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 130 वाहनों से 1,29500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री जय प्रकाश दूबे* की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 428/2025 धारा 74/352/351(3) बीएनएस व 9M/6 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राजाराम पुत्र रामनरायन निवासी फूलुई थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धनघटा चौराहे से आज दिनाँक 04.09.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 03.09.2025 को थाना धनघटा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.09.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 जितेन्द्र यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्ता को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 04.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

दिनांक 26.06.2018 को अभियुक्ता संजू पत्नी चन्दू निवासी अव्वल केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके उपरान्त थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी।

मु0अ0सं0 168/2018 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्ता उपरोक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में ''ऑपरेशन कन्विक्शन''अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 04.09.2025 को मा0 न्यायालय–जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

विदित हो कि दिनांक 15.06.2003 को वादी श्री प्रहलाद पुत्र रामानन्द हरिजन निवासी नौरंगिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्त अर्जुन पुत्र मूरत निवासी नौरंगिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट की गयी थी जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर एन0सी0आर0 217/2003 धारा 323/504 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री पी0पी0 मिश्र द्वारा सम्पादित की गयी थी।

एन0सी0आर0 217/2003 धारा 323/504भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 3000 रु0 के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को 05 दिवस का सादा कारावास की सजा भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा धनघटा व हैंसर बाजार में किया गया फ्लैग मार्च

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत किया गया फ्लैग मार्च

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में आज दिनाँक 04.09.2025 को *थाना धनघटा* पुलिस द्वारा धनघटा बाजार व हैंसर बाजार में आगामी त्योहारों ईद मिलादुन्नबी/ बरावफात तथा विश्वकर्मा पूजा आदि के दृष्टिगत जनता मे सुरक्षा भावना को बढ़ाने के दृष्टिगत मय आवश्यक पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य त्यौहारों के दौरान गड़बड़ी पैदा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का संदेश देना रहा। फ्लैग मार्च के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री जय प्रकाश दूबे* सहित थाना कोतवाली खलीलाबाद के पुलिस अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

☐ ***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा अवैध अतिक्रमण व गलत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चलाया गया अभियान***

☐ ***अभियान के तहत जनपद से कुल 130 वाहनों से 1,29,500 रु0 वसूला गया जुर्माना***

☐ ***विशेष अभियान के तहत महिला थाना व यातायात पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत सड़क किनारे से हटवाया गया अतिक्रमण, लोगों को किया गया जागरुक***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनाँक 04.09.2025 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए अवैध अतिक्रमण कर मार्ग अवरुद्ध करने वालों व गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस व महिला थाना द्वारा संयुक्तरुप से अभियान चलाकर मुखलिसपुर तिराहा व मेंहदावल बाइपास के आसपास ठेला लगाकर फल बेंचने वालों को हटवाया गया तथा अवरुद्ध मार्ग को आवागमन हेतु सुचारु किया गया , जिससे मेंहदावल बाइपास व मुखलिसपुर तिराहा पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी।

अभियान के दौरान संतकबीरनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद से 03 वाहनों से 3,000 रुपए, थाना दुधारा से 06 वाहनों से 5,000 रुपए, थाना धनघटा से 05 वाहनों से 5000 रुपए, थाना महुली से 15 वाहनों से 12000 रु0, थाना मेहदावल से 03 वाहनों से 2,500 रु0, थाना बखिरा से 20 वाहनों से 16,000 रु0, थाना बेलहरकला से 05 वाहनों से 5000 रु0, थाना धर्मसिंहवा से 01 वाहनों से 2,000 रु0 व यातायात पुलिस द्वारा 72 वाहनो से 79000 रुपए जुर्माना वसूला गया साथ ही वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।